(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR No.

Court of अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर, जिला नागौर (राज.)

Kind of Case दीवानी विविध

Number of Case 51/2014 (CIS No. 734/2014)

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर वगैरह Versus मुतवफी पीरजादा वगैरह

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of complainve of order
15.10.2025	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी दिनांक 08.10.2015, अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 9 सीपीसी दिनांक 08.10.2015 व धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 08.10.2015 उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। भंवरलाल के कायम मुकाम पत्रावली पर उपस्थित हो चुके हैं और संशोधित शीर्षक में भी उनका नाम उल्लिखित किया जा चुका है, परन्तु इस संबंध में उक्त प्रार्थना पत्रों पर आदेश होना दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अतः उक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भंवरलाल के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार ही है। चूंकि प्रार्थी/वादी मुस्लिम कमेटी बोर्ड एक स्वायत्त शासन संस्था है, जिसके अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान सरकार के आदेश से बदलते रहते हैं इसलिए अप्रार्थी भंवरलाल की मृत्यु होने पर उनके देहान्त की जानकारी उन्हें नहीं हो पायी। उन्हें उक्त देहान्त की जानकारी होते ही उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। भंवरलाल के वारिसान की ओर से इस तरह का कोई कथन नहीं किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार वारिसान के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान हो। अतः प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और भंवरलाल के कायम मुकाम, जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है, को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। संशोधित शीर्षक पहले से ही प्रस्तुत है, अतः पृथक से संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण का एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 दिनांक 19.11.2024 भी लंबित है, जिसमें उसके द्वारा दर्शित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1/क/1 पीर अब्दुल बाकी का देहान्त दिनांक 24.08.2024 को हो चुका है, जिसके विधिक वारिसानों में उसकी पत्नी अजीमन निशां है और उसके कोई जाइन्दा संतान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1/क/1 पीर अब्दुल बाकी मोहम्मद अयूब का कायम मुकाम है। मोहम्मद अयबू के अन्य कायम मुकाम 1/क/2 लगायत 1/क/7 ने यह	

16.10.25

अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र. 1

नागौर (राज.)

CNR No.

Number of Case 51/2014 (CIS No. 734/2014)

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर वगैरह *Versus* मुतवफी पीरजादा वगैरह

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of compliance of order
	दर्शित नहीं किया है कि पीर अब्दुल बाकी के उसकी पत्नी अजीमन निशां के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान हो। अजीमन निशां पर पूर्व में उचित रूप से तामील हो चुकी है और उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही यह दर्शित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1/क/1 पीर अब्दुल बाकी के अन्य कोई विधिक वारिसान हो। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में अपनी अनापत्ति जाहिर की गयी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांक 19.11.2024 उपरोक्त विश्लेषणानुसार स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 12.11.2025 को पेश हो। पत्रावली में अब अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 16.05.2023 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 16.05.2023 का निस्तारण किया जाना शेष है। अतः पत्रावली वास्ते पेश होने संधोशित शीर्षक व बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी दिनांक 12.11.2025 को पेश हो। 15.10.25	